

दिनांक

30/4/25

प्रभावली पेडा (ई) वादी आदि. उण.) वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 वा. दीवानी पेडा क्रिया) वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेडा कर निवेदन किया कि प्रतीवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का दीगर पार्षदों को बेचान कर दिया गया है, इस कारण वादग्रस्त भूमि का अंतरण किये जाने से वादी प्रतीवादीगण के विरुद्ध घोषणापत्रक वाद व विषय पत्र को अज्ञात एवं अवैध घोषित करने हेतु अलग से वाद प्रस्तुत करना चाहता है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को प्रत्याख्यान कर तथा वाद प्रस्तुत करने की अनुमति उद्घात कर तथा वाद प्रस्तुत करने की स्वीकृति के साथ वाद का निरालाण कर दिये जाने का निवेदन किया।

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अनलोडन किया गया तथा वादी आदिबक्ता की बरस का पितन एवं मन्त्र किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 वा. दीवानी को प्रथमदृष्टया स्वीकार किया जाना अन्यायपूर्ण प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 वा. दीवानी स्वीकार करते हुये वादी को नवीन वाद पेडा करने की स्वीकृति उद्घात की जाती है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत आदेश 188 राजस्वात कार्रकारी आदेश नियम को वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 वा. दीवानी में नवीन वाद पेडा करने की स्वीकृति दिये जाने से निर्णीत किया जाता है। त्रिणयि सरे इदालाल खुताण गया। रिक्की पर्जा पारी है।

प्रभावली फिलत शुमार होकर दाखिल फलतर ही तथा नम्बर से कम ली।

उपेन
30/4/25
सहायक कलक्टर
मीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. नाहर सिंह पिता बागसिंह जी जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी बासनी कलां मावली जिला उदयपुर

वादी

बनाम

1. सुरेन्द्र कंवर पत्नी गोवर्धन सिंह जी जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी बासनी कलां मावली जिला उदयपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा
3. उप-पंजीयक भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

**वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाने बाबत**

प्रकरण संख्या 52/2024 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री मांगी लाल जी सेन उपस्थित- इस वाद में आज तारीख 30.04.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 जा0 दी0 में नवीन वाद पेश करने की स्वीकृति दिये जाने से निर्णित किया जाता है।


(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा
भीलवाड़ा